फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) गिर्वा, उदयपुर

कड़वा विपक्षी हुरी

वाद पत्रावली संख्या 186/19 सन् 2019

कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएँ जारी की गई
17-12-19 पत्रावली पेश हुई। वादी एवं वादी के अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। प्रकरण आदेश हेतु नियत है। आज वादी की ओर से एक प्रार्थना पत्र बाबत घोषणा की दाद डिक्री किये जाने का मय दस्तावेज जमाबन्दी संवत-2074-77 के पेश किया गया। वादी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में यह कथन किया कि वादी ने जिस आराजीयात बाबत घोषणा का वाद प्रस्तुत किया है उक्त आराजीयात वादी के खाते मे दर्ज होकर वादी खातेदार है। वादी अन्य किसी आराजीयात बाबत घोषणा की दाद नहीं चाहता है। वादी ग्राम बलिचा आ०न० 247, 248, 249, 250 कुल किता 4 कुल रकबा 0-4150 हैक्टेयर तथा आ० न०-1108, 1109, 1112, 1125, 2057/1108 कुल किता-5 कुल रकबा 0-4250 हैक्टेयर जमाबन्दी में दर्ज है जिसमें 1/3 हिस्सा दर्ज है तथा आ०न० 1088, 1114 कुल किता-2 कुल रकबा 0-0650 हैक्टेयर भूमि में 1/2 हिस्सा दर्ज है। उक्त भूमि वादी के खाते में दर्ज होकर वादी खातेदार है जिसमें वादी अपने हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त कर रहा है लेकिन प्रतिवादीगण वादी को कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल करने पर आमादा है इसलिए स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण को पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादी की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करे। वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वाद मे प्रस्तुत घोषणा की दाद की डिक्री फरमाया जावे तथा प्रतिवादीगण को निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमावे कि वादी के खातेदारी भूमि में कब्जे से बेदखली नही करे उक्त कार्य न स्वयं करे न अपने परिवारजन, नौकर एजेन्ट से करावे। प्रार्थना पत्र व दस्तावेज शा०का० किये गये। न्यायालय द्वारा वादी के प्रार्थना पत्र एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा अपने वाद मे जिन आराजीयात बाबत घोषणा की दाद चाही गई थी, उक्त वादग्रस्त आराजीयात वादी के नाम जमाबन्दी संवत 2074-77 अनुसार दर्ज पाई गई। जिनमें से आ०न० 247, 248, 249 व 250 कुल किता 4	Identified by me (signature)

Manju

रकबा 0-4150 है. का सम्पूर्ण हिस्सा वादी के नाम दर्ज है। इसी प्रकार आ.नं. 1108, 1109, 1112, 1125, 2057/1108 कुल किता-5 रकबा 0-4250 हैक्टेयर में वादी का 1/3 हिस्सा दर्ज है एवं आ.नं. 1088, 1114 कुल किता-2 कुल रकबा 0-0650 हैक्टेयर में वादी का 1/2 हिस्सा दर्ज है। इस प्रकार उक्त आराजीयात में वादी खातेदार काश्तकार, दर्ज जमाबन्दी ग्राम कालिया संवत 2074-77 अनुसार, रिकार्ड है। जिससे वादी द्वारा अपने वाद में प्रस्तुत घोषणा की दावा को उक्त प्रार्थना पत्र द्वारा डिक्री करना चाहा गया है। एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थित प्रतिवादीगण के विरुद्ध चाही गयी है।

न्यायालय में पूछने पर भी वादी द्वारा स्वयं उपस्थित होकर वाद में चाही गई घोषणा की दावा डिक्री करना स्वीकार किया गया है एवं अपनी सहमति देते हुए आदेशिका पर हस्ताक्षर किये गए। वादी की पहचान उनके अधिवक्ता श्री नरेन्द्र चितौड़ा द्वारा की गई।

अतः वादी का प्रार्थना वास्ते घोषणा की दावा डिक्री किये जाने का स्वीकार किया जाता है एवं प्रतिवादीगण के विरुद्ध उक्त वादग्रस्त आराजीयात संख्या- 247, 248, 249, 250 के सम्पूर्ण हिस्से पर एवं आ.सं. 1108, 1109, 1112, 1125, 2057/1108 के 1/3 हिस्से पर एवं आ. संख्या 1088 व 1114 के 1/2 हिस्से पर स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वादी के उक्त हिस्से में उसके शांतिपूर्वक कब्जे से बेदखल नहीं करे उक्त कार्य न स्वयं करे न अपने परिवारजन, नौकर, एजेन्ट इत्यादि से करावे।

निर्णय खुले इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। Manju

(डा० मंजु I.A.S.)

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) गिर्वा
कलक्टर परिसर, उदयपुर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2020.02.10 15:10:58 IST
Reason: SelfAttested
Location: